छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास लि., के स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/ लकड़ी के कोयले की नीलामी में विक्रय की शर्तों की विनियमित करने वाले नियम

सर्व साधारण की जानकारी में लिये एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार विभागीय रूप से काटी गई और/या संग्रहित की गई ईमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी के विभिन्न लाटों का विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा ई–नीलामी पद्धति द्वारा किया जावेगा।

नीलाम के समय घोषित या अनुरोध पर पूर्व में उपलब्ध कराई गई इमारती लकड़ी/ जलाऊ लकड़ी के मापों, मात्राओं और श्रेणी के ब्यौरे मण्डल प्रबंधक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही हैं, किन्तु उनकी किसी भी सीमा तक गारंटी नहीं है। इसलिये बोली लगाने वालों इच्छुक व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस विषय में अपना समाधान करने की दृष्टि उस से लाट या उन लाटों का जिसके लिये/जिनके लिये वे बोली लगाना चाहते हैं स्थल पर निरीक्षण कर ले। अनुरोध करने पर लाटों और मापों के ब्यौरे संबंधित उपमण्डल प्रबंधक/परियोजना परिक्षेत्राधिकारी/डिपो अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते हैं। यदि बाद में मात्राओं आदि के ब्यौरे गलत पाये जांऐ तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के विरूद्ध मुआवजे या किसी अन्य राहत के लिये कोई भी दावा नहीं होगा।

1. (क) किसी भी व्यक्ति को नीलाम में किसी भी लाट के लिये बोली लगाने की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी जब तक कि वह उसकी शर्तो का पालन के करार के प्रतीक स्वरूप विक्रय सूचना पर अपने हस्ताक्षर न करें और प्रत्येक लाट के संबंध में बोली लगाने के पूर्व जिस सीमा तक वह बोली लगाना चाहता हो उसके 10 प्रतिशत के बराबर राशि या 1000 रू. इसमें से जो भी अधिक हो की बयाने की राशि जमा न कर दें। बोली लगाने वालों को यह अनुमति दी जा सकेगी कि यदि वह नीलाम के दौरान पहले ही जमा की गई 10 प्रतिशत राशि द्वारा अनुमति सीमा से अधिक की बोली लगाना चाहते हों तो बयाने की राशि में और राशि जमा कर सकें।

1. (ख) असफल बोली लगाने वालों के मामले में बयाने की जमा रकम नीलामी समाप्त होने पर उन्हें नियमानुसार वापिस लौटा दी जायेगी। सफल बोली लगाने वाले के मामले में यह राशि लाट के लिये बोली गई राशि के 25 प्रतिशत के भुगतान में जैसा कि निम्नलिखित शर्त (2)(क) के अधीन अपेक्षित है, समयोजित कर ली जावेगी।

2.(क) (एक) बोली स्वीकृत होने के तत्काल बाद या नीलामी की तारीख से 7 दिवस के भीतर जो भी मण्डल प्रबंधक द्वारा स्वविवेक से अनुमति किया जावे सफल बोली लगाने वाले को ऐसी और रकम का, जिससे बोली की राशि 25 प्रतिशत राशि पूरी हो जाए निगम के पक्ष में भुगतान करना होगा और ऐसा न करने पर विक्रय रद्द कर दिया जायेगा और उपर्युक्त शर्त

(क) के अधीन बयाने के रूप में जमा की गई राशि निगम के पक्ष में समपहृत हो जावेगी। चूककर्ता बोली लगाने वाले की जोखिम के बिना लाट की पुनः नीलाम की जावेगी।

2. (क) (दो) उपर्युक्त शर्त 2 (क) (एक) के अधीन विक्रय रद्द हो जाने की स्थिति में यदि चूककर्ता बोली लगाने वाला अनुवर्ती, नीलामी में लाट के विक्रय के पूर्व विक्रय के पूर्व प्रवर्तन का निवेदन करें, तो क्षेत्रीय महाप्रबंधक यदि उसका इस बात से समाधान हो जाय कि बोली लगाने वाला उपयुक्त शर्त 2 (क) (1) के अधीन अपेक्षित अगली राशि का किसी समुचित तथा पर्याप्त रूप से विश्वसनीय कारण से विहित समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं कर सका था, तो वह सम्पूर्ण विक्रय मूल्य और साथ ही विक्रय में हुए विलंब की कालावधि के लिये उस पर ब्याज, स्थान भाड़ा तथा विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क का भुगतान करने पर विक्रय का पुनः प्रवर्तन कर सकेगा। उसके पश्चात इन शर्तों के विभिन्न खण्डों में दी गई विहित अवधियों तथा समय सीमाओं जो विक्रय को विनियमित करती हो की गणना, नीलाम की तारीख से की जावेगी।

वसूली योग्य ब्याज की दर तथा उसकी गणना की पद्धति को नीचे दी गई शर्त 2 (ख) में दिये अनुसार होगी । स्थान, भाड़ा नीचे दी गई शर्त 14 (क) के अनुसार वसूली योग्य होगा।

2. (ख) (एक) बोली की शेष 75 प्रतिशत राशि क्रेता द्वारा, बोली की मंजूरी की तारीख से, जो मण्डल प्रबंधक द्वारा उसे नियमानुसार संसूचित की जावेगी, 45 दिन के भीतर भुगतान की जावेगी। तथापि अपवादिक मामले में मण्डल प्रबंधक, क्रेता द्वारा निवेदन किये जाने पर, बोली की शेष राशि के भुगतान की 45 दिन की इस अवधि को नीचे दी गई शर्त 2(ख) (दो) में दिये गये ब्यौरे के अनुसार ब्याज का भुगतान करने पर 75 दिनों तक बढ़ा सकेगा। बोली की शेष रा" ा आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. पद्धति से मंडल प्रबंधक को भुगतान किया जावेगा।

2. (ख) (दो) यदि बोली की शेष रा" ा का भुगतान मंजूरी की संसूचना की तारीख से 45 दिन के भीतर न किया जाए तो भुगतान न की गई शेष रा" ा पर छियालीसवें दिन से 12 प्रति" ात वार्षिक की दर से या समय–समय पर पुनरीक्षित दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। ब्याज की गणना के लिए 15 दिन या उससे कम दिन की अवधि की गणना आधे महीने के रूप में तथा 15 दिन से अधिक दिनों की गणना एक माह के रूप में की जावेगी।

2. (ग) (एक) उपर्युक्त शर्त 2(क) तथा (ख) के अधीन भुगतान योग्य रकम के अलावा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (वर्ष 1994 का 32वां अधिनियम) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के उपबंधो के अनुसार वन विकास निगम द्वारा भुगतान योग्य वाणिज्यिक कर वन विकास उपकर तथा अन्य समस्त करों की वसूली विक्रय मूल्य सहित खरीददार से की जावेगी।

2. (ग) (दो) फायनेन्स एक्ट 1988 की नवीन प्रतिस्थापित धारा 206सी एवं 44 ए.सी. के प्रावधानों के अनुसार जो कि 1 जून 1988 से प्रभाव" ील है, खरीददारों से विक्रय मूल्य पर आयकर भी वसूल की जावेगी।

2. (ग) (तीन) उपर्युक्त शर्त खण्ड 2(क) तथा (ख) के अधीन विक्रय मूल्य की रकम का तब तक पूर्णतः भुगतान होना नही माना जायेगा, जब तक उक्त उप खण्ड 2(ग) (एक) एवं 2 (ग)

(दो) के अधीन उस तारीख को भुगतान योग्य वाणिज्यिक कर, आयकर का भी पूर्णतः भुगतान न कर दिया गया हो।

2. (ग) (चार) क्रेता प" चात्वर्ती दायित्वों के लिए भी यदि कोई हो, जिनमें इन शर्तो के अधीन उसे बेचे गये माल पर वन विकास निगम द्वारा भुगतान योग्य वाणिज्यिक कर एवं आयकर के अतिरिक्त रा" ायों का भुगतान भी शामिल है, उत्तरदायी होगा, ऐसा भुगतान मंडल प्रबंधक द्वारा लिखित रूप से मांग की जाने पर 15 दिनों के भीतर करना होगा।

3. किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से बोली लगाने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक कि वह ऐसे व्यक्ति या फर्म द्वारा निष्पादित मुख्तार नामा जो सक्षम विधि न्यायालय द्वारा सम्यक रूप में प्रमाणित हो और जिसके द्वारा उसे कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो या उस फर्म का, जिसका भागीदार होने का वह दावा करता है, पंजीयन प्रमाण–पत्र मंडल प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता।

परन्तु यदि कोई व्यक्ति मुख्तार नामा प्रस्तुत किये बिना बोली लगाना चाहता है तो मंडल प्रबंधक बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कारणों से संतुष्ट होने पर उन्हें नीलाम में बोली बोलने की अनुमति इस शर्त के साथ दे सकेगा कि वह नीलाम की तिथि से एक सप्ताह के अंदर वांछित मुख्तार नामा प्रस्तुत करेगा। उक्त दी गई अवधि अर्थात एक सप्ताह की समाप्ति के पूर्व यदि वह मुख्तार नामा प्रस्तुत नही करता तो विक्रय रद्द किया जावेगा तथा शर्त क्रमांक 1(क) के अधीन बयाने के रूप में जमा की गई रा" ा निगम को समपहृत की जावेगी और चूककर्ता बोलीदार की जोखिम के बिना लाट की पुनः नीलामी की जावेगी।

4. कोई भी व्यक्ति जिसे वन ठेको में बोली लगाने के लिये प्रतिबंधित किया गया हो या वर्जित किया गया हो, ऐसा प्रतिबंध लागू होने तक नीलामी में बोली नहीं लगायेगा।

5. मंडल प्रबंधक की लिखित अनुमति को छोड़ ऐसे कोई भी व्यक्ति जिस पर किसी वन ठेके के कारण या उसके अधीन शासन, निगम का धन बाकी हो, नीलामी में बोली नहीं लगायेगा।

6. मंडल प्रबंधक प्रत्येक लाट के लिये कोई आरक्षित मूल्य आरक्षित कर सकेगा और किसी भी लाट को नीलामी से हटा सकेगा, परन्तु जब कि बोली ऐसे आरक्षित मूल्य से कम हो।

7. मंडल प्रबंधक पूर्ववर्ती बोली पर प्रत्येक अग्रिम की न्यूनतम रकम नि" चत कर सकेगा और बोली के दौरान समय–समय पर इस प्रकार नि" चत की गई रकम को परिवर्तित कर सकेगा बोली के समय उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम अविवादास्पद बोली पर बोली फिर से तत्काल प्रारंभ की जावेगी।

8. मंडल प्रबंधक को कोई कारण बताये बिना निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार होगा।

क. नीलाम की किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति को बोली लगाने से रोक देने का।

ख. सबसे ऊँची या किसी भी बोली को अस्वीकार करने का।

ग. सबसे ऊँची या किसी भी बोली को स्वीकार करने का तथा किसी भी अवस्था में किसी भी लाट को नीलाम से वापस ले लेने का भले ही बोली लगाने वाले उसे खरीदने के लिए तैयार हो।

9. सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति, उसकी बोली स्वीकार कर लिये जाने के बाद उसके पक्ष में बोली समाप्त किए गए लाट के संबंध में बोली पत्रक पर स्वीकार करेगा तथा मंडल प्रबंधक को अपना डाक का पता/ई–मेल लिखित रूप में देगा जिस पर उससे पत्र व्यवहार किया जा सके। इसी प्रकार उसके पते में हुये किसी भी परिवर्तन की सूचना उसके द्वारा उस अधिकारी को दी जावेगी उस पते/ई–मेल पर नियमानुसार भेजी गई सूचना के बारे मे यह समझा जायेगा कि वह सम्यक रूप से सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति को पहुंच गई है।

10. मंडल प्रबंधक की मंजूरी की क्षमता से परे ठेकों के विक्रय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन होंगे तथा सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति अपनी बोली द्वारा तब तक आबध्द्ध रहेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित न किये जायें।

11. सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति, जिसकी बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई हो, क्रेता होगा।

12. (क) यदि विक्रय मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि तथा साथ ही उपर्युक्त शर्त 2 (ख) तथा (ग) के अनुसार वन विकास निगम द्वारा भुगतान योग्य वाणिज्यक कर एवं आयकर की राशि के बदले में भुगतान योग्य राशि का भुगतान न किया जावें तो विक्रय रद्द कर दिया जावेगा तथा स्वीकृत बोली मूल्य का 25 प्रतिशत निगम को समपहृत हो जायेगा। व्यक्ति क्रय कर्ता को तीन वर्षो की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज भी किया जा सकेगा। लाट का नीलाम व्यक्ति क्रय कर्त्ता की जोखिम के बिना पुनः किया जावेगा।

(ख) यदि बोली की रकम की शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान न करने के कारण विक्रय रद्द कर दिया गया हो और अगले उच्चतर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट जो जाय कि समुचित और पर्याप्त रूप से विश्वास योग्य कारणों से, जो लेख बद्ध किये जायेगें, क्रेता विहित समय सीमा के भीतर उस राशि का भुगतान करने में असमर्थ था तो ऐसा प्राधिकारी समस्त देय रकमों के पूर्व भुगतान और विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क का भुगतान करने पर विक्रय को पुनः प्रवर्तित कर सकेगा।

13.(क) बेची गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी को हटाने की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी, जब तक कि उपर्युक्त शर्त क्रमांक 2 के अनुसार पूर्व भुगतान और जहाँ आवश्यक हो वहॉ नीचे की शर्त 14 के अधीन स्थान भाड़ा तथा निगम को पूर्ण भुगतान न कर दिया गया हो। लाट/लाटों को हटाने की अनुमति सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व नहीं दी जावेगी। डिपो में इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बनाये गये द्वार से इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी ले जाने की अनुमति दी जायेगी, जहॉ इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी निरीक्षण के लिये तथा लकड़ी उस पर निकासी हेमर चिन्ह लगाने के लिये प्रस्तुत की जावेगी।

(ख) बेची गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी का परिदान लेते समय क्रेता उसके लिये रसीद देगा।

(ग) डिपो से हटाई जाने वाली समस्त इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी संबंधित डिपो अधिकारी परियोजना परिक्षेत्राधिकारी से इस प्रयोजन के लिये प्राप्त किये जाने सम्यक रूप से विहित परिवहन अनुज्ञापत्र (परमिट) के अंतर्गत होगी।

(घ) क्रेता डिपो से इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी को हटाने का दौरान डिपो परिसर के भवन, फिक्चर्स तथा फिटिंग्स, वनोपज अथवा वहां खड़े किसी वृक्ष या पौधों को होने वाली हानि या क्षति, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिये उत्तरदायी होगा। ऐसी हानि या क्षति का मूल्यांकन जो कि मंडल प्रबंधक द्वारा किया जायगा, अंतिम होगा और क्रेता पर बंधनकारी होगा।

14. (क) यदि बेची गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी उपर्युक्त शर्त क्र. 2 (ख) एक के अनुसार मंजूरी की सूचना की तारीख से 2 माह के भीतर डिपो से नहीं हटाया जाता तो मंडल प्रबंधक द्वारा निम्नानुसार स्थान भाड़ा वसूल किया जावेगा :–

1. इमारती लकड़ी – रू. 0.50 प्रतिदिन प्रति घन मीटर
2. जलाऊ लकड़ी – रू. 2.50 प्रति स्टेंडर्ड माप का चट्टा प्रतिमाह

मंजूरी की संसूचना की तारीख से 2 महीने की अवधि समाप्ति के पश्चात् स्थान भाड़ा की संगणना की जावेगी।

तथापि, अपवादिक मामलों में मंडल प्रबंधक अपने स्वविवेक से स्थान भाड़े की वसूली के लिये बिना मंजूरी की सूचना की तारीख से चार माह की अधिकतम अवधि में डिपो से बेची गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी हटाने की अनुमति दे सकेगा, बशर्ते कि लाट की नीलामी के समय ऐसी घोषणा की गई हो और बोली पत्रक अभिलिखित की गई हो।

14. (ख) डिपो से बेची गई तथा खरीदी गई समस्त इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी, मंजूरी की संसूचना की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर हटाई जावेगी। कतिपय अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई क्रेता, जिसने पहले ही पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया हो, उपर्युक्त अवधि के भीतर इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी हटाने जाने की स्थिति में न हो तो उसे स्थान भाड़ा का भुगतान करने पर मंजूरी की सूचना मिलने की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर माल हटाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। चार माह की अवधि समाप्त हो जाने पर क्रेता को केवल अपवादिक मामलों में, संबंधित क्षेत्रीय महाप्रबंधक की विशेष अनुज्ञा से, जो स्थान भाड़ा के अतिरिक्त, न हटाई गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी के विक्रय मूल्य के 10 प्रतिशत से अनधिक शास्ति उदग्रहीत कर सकेगा, इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी हटाने की अनुमति दी जा सकेगी।

चार माह की अवधि या ऐसी अवधि, जो क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा बढ़ाई हो के समाप्त हो जाने के पश्चात् इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी, यदि न हटाई गयी हो तो वह विक्रय मूल्य सहित निगम को समपहृत हो जावेगा तथा उसे नीलाम के द्वारा बेच दिया जावेगा और मूल क्रेता को उसके संबंध में दावा करने का अधिकारी नही होगा।

15. वन विकास निगम, विक्रय की गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी की किसी भी प्रकार की क्षति और हानि के लिये और आग, चोरी, दुर्विनियोग या अन्य दुर्घटना, जिस भी किसी कारण से, हुई हानि के लिये किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा। विक्रय के बाद डिपो में रखी गई इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी पूर्णत क्रेता की जोखिम पर रहेगा।

16. (क) वन मार्गों पर ट्रक या अन्य भारी वाहनों के चलाने के लिये मंडल प्रबंधक से निम्नालिखित दरों पर मार्ग अनुज्ञा पत्र (परमिट) प्राप्त करना होगा :–

1. रूपये 600/– प्रति तिमाही प्रति वाहन/ अथवा

2. रूपये 50/– प्रति वाहन, एक तरफ की एक खेप के लिए।

16. (ख) तिमाही की अवधि की गणना निम्नानुसार की जावेगीः–

1. प्रथम तिमाही 1 अप्रैल से 30 जून

2. द्वितीय तिमाही 1 जुलाई से 30 सितम्बर

3. तृतीय तिमाही 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर

4. चतुर्थ तिमाही 1 जनवरी से 31 मार्च

17. बोली लगाने की कार्यवाही को इन शर्तों की पूर्ण और बिना शर्त स्वीकृति समझा जावेगा।

18. छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969, भारतीय वन अधिनियम 1927 के उपबंध तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, जिसमें वन संविदा (कांन्ट्रेक्ट) नियम शामिल है, जहॉ तक वे लागू हो, सफल बोली लगाने वाले क्रेता पर विक्रय की शर्तों के रूप मे लागू होंगे।

19. इन शर्तों के अधीन बोली लगाने वाले से किसी भी कारण से वसूली योग्य कोई राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

20. इन शर्तों के अधीन बेची गई जलाऊ लकड़ी/जलाऊ लकड़ी से विनिर्मित कोयले को छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर निर्यात नही किया जावेगा। जलाऊ लकड़ी/कोयले के अनुवर्ती क्रेता को भी राज्य से बाहर जलाऊ लकड़ी/कोयले का निर्यात करने का अधिकारी नही होगा।

21. ऐसे किसी भी बोली लगाने वाले व्यक्ति या उसके किसी एजेण्ट या नौकर को जो नीलामी की कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक शांति या प्रशांति बांधित करता हो या वन अधिकारी के सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता हो या रोकता हो, नीलामी विक्रय में भाग विक्रय में भाग लेने से वर्जित किया जा सकेगा, और उससे द्वारा किसी लाट के संबंध में जमा की गई बयाने की राशि यदि कोई हो तो, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को समपहृत हो जावेगी इसके अतिरिक्त उसका नाम वर्ष की अवधि के लिये काली सूची में दर्ज कर दिया जावेगा।

22. इन शर्तों से उत्पन्न समस्त विवाद छत्तीसगढ़ के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगे।

उपरोक्त वर्णित नियम एवं प्रावधान मुझे स्वीकार हैं।

क्रेता के हस्ताक्षर